14.12-

राज्य द्वारा एडीपीओ

थाना गोहद से जारी आदेशिका अद्म तामील बापस प्राप्त हो चुकी है। जमानतदार सारदुल सिंह ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि उसके द्वारा अभियुक्तगण की जमानत दी गई थी, किन्तु उसे प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी, इस कारण से उसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। उसकी आयु करीब 90 वर्ष हो चुकी है और चलने फिरने में असमर्थ है, उसे मूल प्रकरण की जानकारी नहीं है। प्रकरण की जीनकारी होने पर उपस्थित हुआ है। अतः प्रकरण में कम से कम राशि समहापत जल किये जाने का निवेदन किया है।

GRPG-106-समहप्रत जब्त किये जाने का निवेदन किया है।



Order Sheet [Contd]

Case No. of 20

te of der or receding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित जमानतदार सारदुल सिंह द्वारा अभियुक्त मीना उर्फ जोदासिंह की 8,000/— रूपए की जमानत प्रकरण क0 86/92 में प्रस्तुत की गई थी, किन्तु नियत दिनांक को अनुपस्थिति के कारण जमानत निरस्त कर धारा 446 दप्रस की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

जमानतदार स्वतः उपस्थित होकर राशि जमा करना चाहते हैं। उसके द्वारा उल्लेखित आधार देखते हुए जमानत की राशि में से राशि कम किये जाने हेतु उचित आधार है।

अतः जमानतदार सारदुल सिंह से 100/- रूपए की राशि जमा किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है एवं शेष राशि मुक्त की जाती है। आवेदक द्वारा बुक क0 6909 पर राशि 100/- रूपए रसीद क0 33 पर जमा की।

प्रकरण संतुष्ठि में समाप्त किया जाता है। प्रकरण का परिणाम सुसंगत अमिलेख में दर्ज कर अमिलेखागार संचय हेतु प्रेषित है।

> Judicial Magistrate Pirst Class Gohad distt.Bhind (M.P.)